

केन्द्रीय सेक्टर की राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

1.0 योजना:

- 1.1 इस योजना के तहत, ऐसे प्रतिभाशाली या मेधावी छात्रों को 100,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1,50,000/- प्रति वर्ष 15 अधिक नहीं है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ने संलग्नक में दिए गए अनुसार कक्षा VII और VIII के संबंधित आयु वर्ग के लिए छात्रवृत्ति का कोटा निश्चित किया है। यह योजना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मानदंडों : चूंकि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आरक्षण के संबंध में अपने-अपने मानदंड हैं, के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के छात्रों को आरक्षण प्रदान करेगी।
- 1.2 ये छात्रवृत्तियां सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में कक्षा IX में नियमित छात्रों के रूप में पढ़ने वाले छात्रों को वार्षिक आधार पर प्रदान की जाएगी, जिनका X, XI और XII में नवीनीकरण किया जाएगा। इस प्रकार यह छात्रवृत्ति अधिकतम चार वर्षों की अवधि के लिए होगी।
- 1.3 1 अप्रैल 2017 से छात्रवृत्ति की राशि 1000 रुपये प्रतिवर्ष की दर से 12000/-रु. प्रतिवर्ष होगी।
- 1.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु छात्रों के चयन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा एक अलग परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

2.0 छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के चयन की प्रक्रिया :

- 2.1 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु छात्रों के चयन के लिए अपनी स्वयं की परीक्षा का आयोजन करेगा। राज्य स्तरीय परीक्षा में निम्नलिखित दो परीक्षा शामिल होंगी :
 - (i) बौद्धिक क्षमता परीक्षा (एमएटी)
 - (ii) शैक्षिक योग्यता परीक्षा (एसएटी)
- 2.2 छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए चयन परीक्षा में बैठने हेतु छात्रों के कक्षा VII की परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के

छात्रों को 5% की छूट) होना चाहिए। छात्रों को एक सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों का एक नियमित छात्र होना चाहिए।

2.3 बौद्धिक क्षमता परीक्षा में मौखिक और लिखित संज्ञानात्मक क्षमताओं जैसे रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग से संबंधित 90 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षण में प्रश्न सादृश्य, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपी हुई आकृति आदि पर आधारित हो सकते हैं।

2.4 शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा में 90 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हो सकते हैं, जिसमें कक्षा VII और VIII में पढ़ाए जाने वाले विषय जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित कवर होंगे।

2.5 परीक्षा अवधि

प्रत्येक परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। दिव्यांग बच्चों, जहां लागू हो, को अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

3.0 परिणामों की घोषणा

3.1 छात्रों के चयन हेतु, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

(i) छात्रों को इन दोनों परीक्षाओं अर्थात् एमएटी और एसएटी को कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। एससी/एसटी छात्रों के लिए यह कट ऑफ अंक 32% होंगे।

(ii) छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के चयन के समय छात्र को VIII कक्षा की परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को 5% की छूट दी जाएगी।

(iii) प्राप्तकर्ताओं को योजना में उल्लिखित पात्रताओं और शर्तों को पूरा करना चाहिए।

4.0 छात्रवृत्तियों का संवितरण

- 4.1 एक छात्र किसी भी योजना के तहत केवल एक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है.
- 4.2 छात्रवृत्ति पाने वालों को अधिमानतः एसबीआई, या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या किसी भी अनुसूचित बैंक , जिसमें कोर बैंकिंग सुविधा हो, एक बैंक खाता खुलवाना होगा, ।
- 4.3 राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन सामान्य रूप से छात्रवृत्ति पोर्टल पर लाभार्थियों के प्रस्तावों/सूची ऑनलाइन भेजेंगे। मंत्रालय इस प्रस्ताव की जांच करेगा और छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति वितरण योजना के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के कार्यान्वयन बैंक, एसबीआई को जारी करने के लिए वार्षिक बजट प्रावधान में से निधियों को स्वीकृति प्रदान करेगा।
- 4.4 छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को अगली उच्चतर कक्षाओं में छात्रवृत्ति को जारी रखने के लिए कक्षा IX और XI में न्यूनतम 55% अंक और X कक्षा में 60% अंक प्राप्त करने चाहिए (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट)।

5.0 सामान्य पात्रता शर्तें

- 5.1 प्राप्तकर्ता छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र बशर्ते वह :
 - i. अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अध्ययन करें.
 - ii. कॉलेज/संस्थान प्रमुख द्वारा प्रमाणित अच्छा आचरण बनाए रखें और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/ स्थानीय निकाय स्कूल में एक नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययन जारी रखें .
 - iii. समुचित अवकाश के बिना वह अनुपस्थित न रहे।
 - iv. पूर्ण कालिक आधार पर अध्ययन करें। .
 - v. किसी प्रकार की नौकरी न करें .
- 5.2 विदेशों में अध्ययन करने वाले छात्रों को किसी भी पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जाएगी।
- 5.3 शैक्षणिक सत्र, जिसके संबंध में किसी ने दावा किया गया है उसके 12 महीने की समाप्ति के बाद बकाया छात्रवृत्ति के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

- 5.4 यदि कोई छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता पंजीकरण/प्रवेश के एक महीने के भीतर अपना पाठ्यक्रम छोड़ देता है, तो उसे छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 5.5 यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला छात्र गंभीर बीमारी के कारण वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे बीमार पड़ने के तीन महीने के भीतर संस्थान के प्रमुख के माध्यम से चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजना चाहिए। बीमारी की अवधि को एक विशेषज्ञ जोकि एक पंजीकृत चिकित्सक होना चाहिए, द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जाना चाहिए। प्राप्तकर्ता को उसी पाठ्यक्रम जिसमें वह अध्ययन कर रहा है, को जारी रखने की सुविधा होगी, बशर्ते कि प्रधानाचार्य या संस्थान का प्रमुख यह प्रमाणित करें कि वर्ष के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले का समग्र प्रदर्शन 50% या उससे अधिक है।
- 5.6 प्राप्तकर्ता को पिछली कक्षा/पाठ्यक्रम के परिणाम की घोषणा के 3 माह के भीतर अगली कक्षा/वांछित पाठ्यक्रम में अवश्य दाखिला ले लेना चाहिए।
- 5.7 किसी भी कारण से किसी भी समय अध्ययन में एक शैक्षणिक सत्र के अंतराल के साथ ही छात्रवृत्ति को बंद माना जाएगा।
- 5.8 छात्रवृत्ति वितरण के नियमों के आधार पर एक बार बंद की गई छात्रवृत्ति को किसी भी परिस्थिति में दुबारा शुरू नहीं किया जा सकता है।
- 5.9 सभी नियमों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन के किये जा सकते हैं, जो सभी प्राप्तकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होंगे।
- 6.0 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति को शुरू करने और जारी रखने हेतु पात्रता और अन्य शर्तें**
- 6.1 छात्रवृत्ति शुरू करने के लिए पात्र होने के लिए प्राप्तकर्ताओं को कक्षा VIII से IX कक्षा तक स्पष्ट उत्तीर्णता होनी चाहिए।
- 6.2 माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर या समकक्ष कक्षा IX से XII में छात्रवृत्ति केवल भारत में अध्ययन के लिए अधिकतम चार वर्ष की अवधि के लिए देय है।
- 6.3 इस स्तर पर डिप्लोमा/सर्टिफिकेट स्तरीय पाठ्यक्रमों के लिए किसी प्रकार की छात्रवृत्ति देय नहीं है।
- 6.4 Xवीं और XIIवीं कक्षा में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए, प्राप्तकर्ताओं को कक्षा IX से कक्षा X और कक्षा XI से कक्षा XII को 55% अंकों के साथ प्रथम प्रयास में उत्तीर्ण करना चाहिए (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट)

- 6.5 उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए प्राप्तकर्ताओं को Xवीं (एससी / एसटी छात्रों के लिए 5% की छूट) परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (एससी / एसटी छात्रों के लिए 5% की छूट) प्राप्त करना चाहिए।
- 6.6 यदि कोई संस्थान/विद्यालय कक्षा IX और/या कक्षा XI के अंत में परीक्षा आयोजित नहीं करता है, तो संस्थान/विद्यालय के प्रमुख से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर द्वितीय वर्ष के लिए छात्रवृत्ति को जारी रखा जा सकेगा।
- 7.0 यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से मार्च 2017 के बाद भी लागू रहेगी और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रत्येक वर्ष एक अलग परीक्षा के रूप में कक्षा IX के छात्रों के लिए चयन परीक्षा नवंबर में आयोजित की जाएगी।
- 8.0 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी में सहायता के लिए सलाहकारों/सहायक कर्मचारियों को मिलाकर एक तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी) का गठन किया जा सकता है।
- 9.0 विभाग में नियमित अंतराल पर संबंधित हितधारकों के साथ योजना की निगरानी की जाएगी।
- 10.0 तीन वर्षों के बाद योजना की समीक्षा की जा सकती है।
